

आदेश

निम्नांकित तालिका में अंकित कार्मिकों को जिनकी 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण हो रही है, को उनके नाम के सम्युख अंकित तिथी से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

| क्र. सं. | कर्मचारीका नाम (श्रीमति/सुश्री)          | पदस्थापन जिला | जन्मतिथी   | सेवानिवृत्ति तिथी |
|----------|--|---------------|------------|-------------------|
| 01.      | आशा देवी शर्मा (महिला स्वा.कार्य.)       | करीली         | 30.11.1965 | 30.11.2025        |
| 02.      | अनीता राजोरिया (एल.एच.वी)                | भरतपुर        | 01.09.1965 | 31.08.2025        |
| 03.      | मिथलेश कुमारी (महिला स्वा.कार्य.)        | भरतपुर        | 04.06.1965 | 30.06.2025        |
| 04.      | मधुवाला गर्ग (महिला स्वा.कार्य.)         | भरतपुर        | 15.07.1965 | 31.07.2025        |
| 05.      | राजलक्ष्मी (महिला स्वा.कार्य.)           | भरतपुर        | 20.10.1965 | 31.10.2025        |
| 06.      | शान्ति देवी शर्मा (महिला स्वा.कार्य.)    | भरतपुर        | 04.12.1965 | 31.12.2025        |
| 07.      | ज्ञानेश कुमारी शर्मा (महिला स्वा.कार्य.) | करीली         | 25.11.1965 | 30.11.2025        |
| 08.      | चित्रकौर (एल.एच.वी)                      | भरतपुर        | 05.06.1965 | 30.06.2025        |
| 09.      | धेसीअम्मा के.एम. (एल.एच.वी)              | डीग           | 10.12.1965 | 31.12.2025        |
| 10.      | करुणा कुसुम (एल.एच.वी)                   | डीग           | 12.05.1965 | 31.05.2025        |
| 11.      | कुसुम यादव (नर्सिंग ऑफीसर)               | धौलपुर        | 12.07.1965 | 31.07.2025        |
| 12.      | विरंच पुलारी (महिला स्वा.कार्य.)         | करीली         | 15.08.1965 | 31.08.2025        |
| 13.      | हरिकृष्ण सैनी (नर्सिंग ऑफीसर)            | भरतपुर        | 01.08.1965 | 31.07.2025        |

प्रमाणित किया जाता है कि:-

01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
03. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-नर्सिंग/म.स्वा.का./स्थाई/20/2025/67  
निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
2. संबंधित नियंत्रण अधिकारी।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रमारी, आई टी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश/निजीपत्रावली।

दिनांक- 10.03.2025